



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1942 (श10)

(सं० पटना 645) पटना, सोमवार, 28 सितम्बर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2020

सं० : बी1-3-90/2020-27— बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 से संबंधित महामहिम राज्यपाल, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या : बी1-3-90/2020-26 दिनांक 28.09.2020 एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या : 322/बिहार-वि.प./2020 दिनांक 28.09.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

28 सितम्बर 2020

सं० : बी1-3-90/2020-26— यतः, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) की ततस्थानी प्रविष्टियों में दी गई संख्याओं के अनुसार, सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से बिहार राज्य की विधान परिषद् के 8 (आठ) सदस्यों के स्थान सारणी के स्तम्भ (3) की ततस्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित तारीखों को उन सदस्यों की पदावधि के अवसान पर सेवा निवृत्त होने से रिक्त हुए थे, और;

यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जाना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अनुसरण में, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है, बिहार राज्य के राज्यपाल, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में से प्रत्येक से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के और तद्विना बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उक्त रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से राज्य की विधान परिषद् के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उस निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें।

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या	सेवानिवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
पटना स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	1	06.05.2020
दरभंगा स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	1	
तिरहुत स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	1	
कोसी स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	1	
पटना शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	1	
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	1	
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	1	
सारण शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र	1	

आदेश से और राज्यपाल के नाम पर,
मिथिलेश कुमार साह,
संयुक्त सचिव –सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ।

Election Department

Notification

28th September 2020

No. - B1-3-90/2020-26—WHEREAS, the seat of eight members of the Legislative Council of the State of Bihar, elected from the Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, as per the numbers shown in the corresponding entries in column (2) of the Table, had fallen vacant on the retirement of those members, on the dates mentioned in the corresponding entries in column (3) of the Table, on the expiration of their term of office; and

WHEREAS, Biennial election has to be held for the purpose of filling the above vacancies so arising;

NOW, THEREFORE, as recommended by the Election Commission of India in pursuance of section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Governor of the State of Bihar is hereby pleased to call upon each of the said Council Constituencies, specified in column (1) of the TABLE below, to elect the number of members, specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State, for the purpose of filling the above said vacancies, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

TABLE

Name of Constituency	No. of members to be elected	Date of retirement
(1)	(2)	(3)
Darbhanga Graduates'	1	06.05.2020
Patna Graduates'	1	
Tirhut Graduates'	1	
Kosi Graduates'	1	
Darbhanga Teachers'	1	
Patna Teachers'	1	
Tirhut Teachers'	1	
Saran Teachers'	1	

By order and in the name of the Governor,
MITHILESH KUMAR SAHU,
*Joint Secretary-cum-
 Joint Chief Electoral Officer, Bihar.*

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक: 28 सितम्बर, 2020, आश्विन 06, 1942 (शक)

सं.322/बिहार.-वि.प.-/2020—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 16 के अधीन जारी और राज्य के शासकीय राजपत्र में 28 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य के राज्यपाल ने नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा की है कि बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए उस निर्वाचन-क्षेत्र के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें।

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	1
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	1
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	1
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	1
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	1
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	1
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	1
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	1

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग अयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- (क) नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख - 05 अक्टूबर, 2020 (सोमवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 06 अक्टूबर, 2020 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 08 अक्टूबर, 2020 (गुरुवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 22 अक्टूबर, 2020 (गुरुवार) और
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा - 14 नवम्बर, 2020 (शनिवार) और

(आ) 8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi./ Dated: 28th September, 2020 Asvina 06, 1942 (Saka)

No.322/BR-LC-G&T/2020: - WHEREAS, the Governor of the State of Bihar has, by notification issued under section 16 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the official Gazette of the State on 28th September, 2020, been pleased to call upon each of the Council Constituencies, specified in column (1) of the Table below, to elect the number of members specified against that Constituency in column (2) of the said Table, to the Legislative Council of the State of Bihar.

TABLE

Name of Constituency (1)	No. of members to be elected (2)
Darbhangha Graduates'	1
Patna Graduates'	1
Tirhut Graduates'	1
Kosi Graduates'	1
Darbhangha Teachers'	1
Patna Teachers'	1
Tirhut Teachers'	1
Saran Teachers'	1

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 30 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby –

- (A) appoints, with respect to the said election in each of the Constituencies, -
- the 05th October, 2020 (Monday), as the last date for making nominations;
 - the 06th October, 2020 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - the 08th October, 2020 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 22nd October, 2020 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 14th November, 2020 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
 Secretary to the
 Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 645-571+50-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>